भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1779

10 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

पीएसजीकेएवाई के लाभार्थी

1779. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आयकर विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत लाभार्थियों की अपात्रता निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जा रहे मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना के लाभार्थियों का ब्यौरा और योजना से हटाए जाने वाले संभावित लाभार्थियों की अनुमानित संख्या का राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पात्र लाभार्थियों के गलत अपवर्जन को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आय सत्यापन के अंतर्गत गलत तरीके से अपात्र के रूप में वर्गीकृत लोगों के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराया गया है और इसके समाधान के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए गए हैं;

(ड.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार ने उक्त अपवर्जन प्रक्रिया के अंतर्गत कमजोर परिवारों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई समिति गठित की है और यदि हाँ, तो तत्ससंबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 की धारा 10 के अंतर्गत पात्र और अपात्र परिवारों की पहचान करने की ज़िम्मेदारी पूर्णतया राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। धारा 10(1) के अनुसार, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अपने स्वयं के समावेशन और बहिष्करण दिशानिर्देश तैयार करने और इस अधिनियम के तहत निर्धारित कवरेज सीमाओं के अंदर अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) की पहचान करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, धारा 10(2) में यह अधिदेश दिया गया है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर अपनी लाभार्थी सूचियों की समीक्षा

...2/-

और उनको अद्यतन करना होगा। तदनुसार, एनएफएसए लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन और अद्यतनीकरण का कानूनी अधिकार विशेष रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास है। लाभार्थी डाटाबेस की सटीकता में सुधार करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए विभाग ने एक विश्लेषणात्मक अभ्यास किया, जिसमें आंतरिक मापदंडों जैसे साइलेंट कार्ड, डुप्लिकेट कार्ड, 100 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी, एकल-सदस्य एएवाई परिवार, आदि के अलावा, पीएमजीकेएवाई लाभार्थी डाटा को अन्य मंत्रालयों/विभागों जैसे सीबीडीटी, सीबीआईसी, एमसीए, यूआईडीएआई (आधार), और एमओआरटीएच (वाहन) के डाटासेट के साथ मिलान किया गया। इस बहुस्तरीय विश्लेषण के आधार पर, 8.51 करोड़ लाभार्थियों को क्षेत्र-स्तरीय सत्यापन के लिए चिह्नित किया गया था।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे इन चिह्नित मामलों का उनके अधिसूचित समावेशन/बहिष्करण मानदंडों के अनुसार सख्ती से पुनः सत्यापन करें। लाभार्थी रिकॉर्ड को बनाए रखने, हटाने या सुधार के संबंध में कोई भी निर्णय संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा ऐसे सत्यापन के बाद ही लिया जाता है। किसी भी लाभार्थी को स्वचालित रूप से या उचित प्रक्रिया के बिना नहीं हटाया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सत्यापन के बाद चिह्नित लाभार्थियों में से 2.12 करोड़ को हटा दिया गया है, जिससे वास्तविक पात्र परिवारों को शामिल करना संभव हो गया है।
सत्यापन के बाद चिह्नित और हटाए गए लाभार्थियों का राज्यवार विवरण (दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार) **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(घ) से (च): विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शिकायत निवारण को सुदृढ़ बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

1. सुदृढ़ शिकायत निवारण प्रणाली

   - सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1967/1800-श्रृंखला टोल-फ्री हेल्पलाइनों की सार्वभौमिक उपलब्धता।
   - अन्न सहायता, एक उन्नत एआई-सक्षम व्हाट्सएप और आईवीआरएस-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत, जिससे लाभार्थी अपनी भाषा में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
   - मेरा राशन मोबाइल ऐप, जो लाभार्थियों को अपनी पात्रता, सदस्य और जनसांख्यिकीय विवरण, पिछले माह की वितरण स्थिति, नज़दीकी एफपीएस का पता लगाने और ऐप के माध्यम से सीधे शिकायत दर्ज कराने में सशक्त बनाता है।

2. सीपी-ग्राम (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से बेहतर निगरानी

...3/-

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सभी संबंधित संगठनों को सीपी-ग्राम (सीपीजीआरएएमएस) के तहत निर्धारित 21-दिन में शिकायत के निपटान की समय-सीमा का सख्ती से पालन करने के लिए जागरूक किया गया है।
- लंबित शिकायतों की निगरानी सीपी-ग्राम (सीपीजीआरएएमएस) डैशबोर्ड के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है।
- शिकायतों के एकसमान और समयबद्ध समाधान को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रति माह परामर्श जारी किए जाते हैं।
- अधिक लंबित शिकायतों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए विशेष रूप से चिह्नित किया जाता है।

क्षमता निर्माण एवं निगरानी

- शिकायत निवारण प्रणालियों की दक्षता में सुधार हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती हैं।
- विभाग शिकायत निवारण हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है, जिससे जवाबदेही और समय पर समाधान सुनिश्चित होता है।

इसके अलावा, पात्र लाभार्थियों के नाम गलत तरीके से हटाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए, विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे कोई भी कार्रवाई करने से पहले चिह्नित प्रत्येक मामले का वास्तविक और व्यक्तिगत स्तर पर सत्यापन करें। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि पात्रता का निर्धारण एनएफएसए की धारा 10 के तहत निर्धारित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-विशिष्ट मानदंडों के अनुसार सख्ती से किया जाए।

विभाग ने गलत तरीके से नाम हटाने की उक्त प्रक्रिया के तहत कमजोर परिवारों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए ऐसी कोई समिति गठित नहीं की है।

*****

अनुबंध

दिनांक 10.12.2025 को लोकसभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1779 के भाग (क) से (ग) में संदर्भित विवरण।

सत्यापन के बाद चिह्नित और हटाए गए लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण (दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य का नाम	चिह्नित व्यक्ति	हटाए गए व्यक्ति
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	971	135
2	आंध्र प्रदेश	37,90,418	2,76,035
3	अरुणाचल प्रदेश	1,67,926	1
4	असम	35,95,862	12,93,470
5	बिहार	54,20,773	12,68,435
6	चंडीगढ़	61,481	2,345
7	छत्तीसगढ	33,36,534	1,54,320
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	52,265	8,431
9	दिल्ली	8,14,258	23,600
10	गोवा	49,279	3,299
11	गुजरात	55,09,230	14,06,257
12	हरियाणा	31,64,507	19,47,958
13	हिमाचल प्रदेश	5,32,435	21,819
14	जम्मू और कश्मीर	10,67,961	26,484
15	झारखंड	40,69,980	6,46,786
16	कर्नाटक	7,61,689	49,773
17	केरल	19,21,831	74,442
18	लद्दाख	19,229	602
19	लक्षद्वीप	6,084	50
20	मध्य प्रदेश	73,85,254	8,03,617
21	महाराष्ट्र	1,78,44,571	72,73,133
22	मणिपुर	5,66,437	15,023
23	मेघालय	49,455	47
24	मिजोरम	1,72,241	3,768
25	नागालैंड	3,08,904	18,425
26	ओडिशा	49,27,086	18,83,084
27	पुद्दुचेरी	31,002	1,183
28	पंजाब	22,11,899	2,57,493
29	राजस्थान	75,68,053	14,69,874
30	सिक्किम	38,134	3,590
31	तमिलनाडु	10,46,675	84,416
32	तेलंगाना	4,95,795	1,17,796
33	त्रिपुरा	1,05,000	46,705
34	उत्तर प्रदेश	54,80,518	17,38,231
35	उत्तराखंड	8,53,703	17,762
36	पश्चिम बंगाल	17,29,802	3,51,997
	सकल योग	**8,51,57,422**	**2,12,90,386**

*****